



2026:AHC-LKO:19389

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ**दांडिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 438 दं.प्र.सं.****संख्या - 780 वर्ष 2025**

कुलदीप सिंह

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार, द्वारा प्रमुख सचिव, गृह, उ.प्र., लखनऊ

एवं अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अनिल कुमार अवस्थी, नितिन सिंह, सैयद मोहम्मद आबिद

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, अवधेश कुमार पाण्डेय

न्यायालय संख्या - 23**माननीय न्यायमूर्ति राजीव भारती।**

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री अवधेश कुमार पाण्डेय एवं राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।

दं.प्र.सं. की धारा 438/भा.ना.सु.सं. की धारा 482 के अंतर्गत वर्तमान आवेदन, आवेदक **कुलदीप सिंह** की मुकदमा अपराध संख्या 32/2021, अंतर्गत धारा 2/3 उ.प्र. गिरोहबंद अधिनियम, थाना महाराजगंज, जनपद रायबरेली में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए दायर किया गया है।

इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने आदेश दिनांक 15.07.2025 के माध्यम से आवेदक को अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान करते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किया था:-

"1. वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन, मुकदमा अपराध संख्या 32 वर्ष 2021, अंतर्गत धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना महाराजगंज, जनपद रायबरेली में अग्रिम जमानत की मांग हेतु दायर किया गया है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।

3. आवेदक के विरुद्ध गैंग चार्ट में एक प्रकरण दर्शाया गया है, जिसमें उसे जमानत पर रिहा किया जा चुका है और बाद में अनुलग्नक संख्या 4 में निहित आदेश के माध्यम से दोषमुक्त भी किया जा चुका है। आवेदक का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक को गैंग चार्ट में दर्शाए गए मुकदमे में झूठा फंसाया गया है। जिस आधार पर आवेदक को गैंग चार्ट के अनुसार संलिप्त किया गया है, वह दोषमुक्ति के आदेश से स्वतः ही असत्य सिद्ध हो गया है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता वचन देते हैं कि आवेदक विचारण में सहयोग करेगा।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रार्थना का विरोध किया है, किंतु वे इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि आवेदक दोषमुक्त हो चुका है और आवेदक का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है।

6. प्रतिवादी संख्या 2 को नोटिस जारी किया जाए।

7. दिनांक 13.08.2025 को सूचीबद्ध करें। इस बीच, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता आपत्ति/प्रति-शपथ पत्र दाखिल करेंगे।

8. मामले के उपरोक्त पहलुओं, इस तथ्य कि आवेदक गैंग चार्ट में दर्शाए गए मुकदमे में दोषमुक्त हो चुका है, आवेदक की ओर से दिए गए वचन कि वह विचारण में सहयोग करेगा, अभिलेख के परिशीलन, तथा मुशीर आलम बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 116 में दिए गए निर्णय पर विचार करते हुए, और प्रकरण के गुण-दोष पर प्रवेश किए बिना, यह उपयुक्त प्रतीत होता है कि आवेदक को संरक्षण प्रदान किया जाए।

9. उपरोक्त के दृष्टिगत, अंतरिम संरक्षण के रूप में, यह व्यवस्था दी जाती है कि आवेदक इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से 10 दिनों के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करेगा। ऐसे आत्मसमर्पण पर, आवेदक को विचारण न्यायालय के संतोष के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर अंतरिम अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा।

10. आवेदक विचारण में सहयोग करेगा और वह गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा। आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

चूक की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए विधि के अनुसार कार्यवाही करने का विकल्प खुला रहेगा।"

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उपरोक्त आदेश के अनुपालन में व्यक्तिगत बंधपत्र और दो प्रतिभू दाखिल करने के पश्चात आवेदक को अंतरिम अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया गया है। उसने

अन्वेषण में विधिवत सहयोग किया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन भी किया है कि वर्तमान प्रकरण में आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है। आवेदक ने न्यायालय द्वारा प्रदान की गई अंतरिम अग्रिम जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है। वह विचारण में सहयोग करने का वचन देता है और यदि उसे अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाता है, तो वह उसकी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किंतु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिए गए उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना और आरोपों की प्रकृति पर विचार करते हुए; आवेदक द्वारा न्यायालय द्वारा प्रदान की गई अंतरिम अग्रिम जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया गया है, साथ ही आवेदक द्वारा दिए गए इस वचन को देखते हुए कि वह विचारण में सहयोग करेगा, इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आदेश दिनांक 15.07.2025 के माध्यम से प्रदान की गई अंतरिम अग्रिम जमानत को, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **सुशीला अग्रवाल बनाम सरकार (एन.सी.टी. दिल्ली) - 2020 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 98** में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में पूर्ण किया जाता है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त आदेश दिनांक 15.07.2025 में उल्लिखित किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय को जमानत रद्द करने की स्वतंत्रता होगी।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में, अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति राजीव भारती)

मार्च 17, 2026

शुक्ला